

## भारत की आदिवासी महिलाएँ एवं वर्तमान चुनौतियाँ

गुणवंत सोनोने, Ph.D.

### Abstract

प्राचीन काल से वर्तमान समय तक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देशज समुदाय (आदिवासी, जनजाति, आदिम) की आवहानात्मक एवं आंदोलनात्मक रही है। देशज समाज की भाषा, जीवन पद्धति, मानव समाज एवं विश्व के प्रति दृष्टिकोण, संस्कृति आदि के संदर्भ में विशेषताएं गैर देशज समुदाय से अलग है। जल, जंगल, जमीन, प्राकृतिक संसाधनों पर देशज समाज का विशेषाधिकार रहा है। जल, जंगल, जमीन, प्राकृतिक संसाधन आदि पर्यावरणीय घटक देशज समाज की संस्कृति बनी है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण प्रमुखतः से देशज समुदाय ने किया है। प्रकृति के साथ इनका मजबूत रिश्ता है। इन विशेषताओं के कारण देशज समाज की एक अलग पहचान है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजकीय दृष्टिकोण से देशज समाज के साथ गैर-देशज समुदाय ने अलगाव बनाए रखा। इस कारणवश देशज समुदाय की गैर-देशज समुदाय की तुलना में सभी क्षेत्रों में प्रगति संभव नहीं हो पायी है। बदलते वर्तमान परिप्रेक्ष में देशज समुदाय गैर-देशज समुदाय के संपर्क में आने से प्रगति के नये आयाम खुलने लगे है। विभिन्न धार्मिक संगठनों ने वैचारिक एवं धार्मिक प्रसार के लिए देशज समुदाय से संपर्क स्थापित किये। गैर-देशज समुदाय की संस्कृति और देशज समाज की संस्कृति परस्पर प्रभावित हुई। गैर-देशज समाजों की अंतः क्रिया और हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप देशज समाज के सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि से काफी बदलाव आया है। देशज समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्र में पुरुष और महिलाओं का उत्तरदायित्व और निर्णय में स्थान एवं अधिकार समान है। उत्पादक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी समान है। देशज समाज महिलाओं के संदर्भ में हिंसा मुक्त समाज माना जाता है। गैर-देशज समाज एवं विश्व के परिवर्तनीय घटकों के संपर्क में आने से देशज समाज विशेषतः महिला जीवन प्रभावित हुआ है। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, शिक्षा, उत्पादक कार्य, सामाजिक- सांस्कृतिक क्षेत्र, मूलाधिकार, शासकीय निति आदि के संदर्भ में चुनौतियाँ है। चेतना राष्ट्रीय विकसित कर हम देशज समाज की महिलाओं को वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बना सकते है।

**परिभाषिक शब्द :** देशज समाज (आदिवासी, जनजाति, आदिम), गैर-देशज समाज, वर्तमान चुनौतियाँ .....



*Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at [www.srjis.com](http://www.srjis.com)*

## भारत की आदिवासी महिलाएँ एवं वर्तमान चुनौतियाँ :

### प्रस्तावना :

प्राकृतिक, शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवाधिकार, जीवनावश्यक सुविधा, भाषा, आरोग्य, शासकीय निति आदि चुनौतियाँ भारत की आदिवासी महिलाओं के संदर्भ में है। प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक विभिन्न समस्याएं देशज महिलाओं के संदर्भ में है। शिक्षा से राष्ट्रीय चेतना विकसित कर हम देशज समाज की महिलाओं को वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बना सकते है।

### शिक्षा :

शिक्षा से ही व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र का विकास सम्भव है। संस्कारक्षम नागरिकों का निर्माण शिक्षा का प्रधान उद्देश्य है। शिक्षा ही व्यक्ति को व्यक्ति और समाज को समाज बनाती है। संस्कारक्षम नागरिकों के निर्माण में परिवार, मित्रमंडल, समाज

संगठन, समाज आदि का स्थान महत्वपूर्ण है | संस्कारक्षम नागरिक के विकास में परिवार से महिलाओं का उच्च स्थान है | भारत का देशज समुदाय (आदिवासी, जनजाति, आदिम) आज भी शिक्षा से वंचित है | शिक्षा के अवसर देशज समुदाय को पर्याप्त प्राप्त नहीं होते | तांत्रिक, वैद्यकीय, शोधात्मक शिक्षा में अल्प अवसर प्राप्त होते हैं | यातायात सुविधा, रोजगारों की अनुपलब्धता, आरोग्य विषयक असुविधा, शैक्षिक जागृति का अभाव आदि कारणों से शैक्षिक प्रगति में बाधाएं उत्पन्न होती हैं | महिलाओं की शैक्षिक स्थिति पुरुषों की तुलना में और भी कमजोर है | देशज समाज की संस्कृति भी महिलाओं की शैक्षिक उन्नति को प्रभावित करती है | प्राथमिक शिक्षा से विश्वविद्यालयीन शिक्षा के साथ-साथ तांत्रिक, वैद्यकीय, अनुसंधानात्मक शिक्षा के पर्याप्त अवसर देशज समाज की महिलाओं के लिए उपलब्ध कराना यह वर्तमान समय की भी चुनौति है |

### **प्राकृतिक संसाधन संरक्षण :**

जल, जंगल, जमीन, प्राकृतिक संसाधनों पर देशज समाज का विशेषाधिकार रहा है | जल, जंगल, जमीन, प्राकृतिक संसाधन आदि पर्यावरणीय घटक देशज समाज की संस्कृति बनी हैं | प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण प्रमुखतः से देशज समुदाय ने किया है | प्रकृति के साथ इनका मजबूत रिश्ता है | इन विशेषताओं के कारण देशज समाज की एक अलग पहचान है | मानव ने अपने हव्यास के लिए जल, जंगल, जमीन, प्राकृतिक संसाधन आदि पर्यावरणीय घटकोंका उपयोग किया है | प्राकृतिक जंगलों को नष्ट कर सिमेंट के जंगलो का निर्माण किया है | तालाब, नदियाँ, झरने आदि जलस्रोत प्रदूषित किए हैं | जंगली जीवसृष्टि भी असंरक्षित है | हालांकि देशज समाज (आदिवासी, जनजाति, आदिम) प्राचीन कालसे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षक रहा है | इसमें देशज समाज के पुरुषों के साथ -साथ महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है | यह देशज समाज की संस्कृति बनी है | पर आधुनिकता के कारण प्राकृतिक संसाधनों का देशज समाज का अधिकार छीन लिया | वर्तमान स्थिति में प्राकृतिक संसाधन असंरक्षित है | औद्योगीकरण के कारण प्राकृतिक संसाधनों का विनाश होकर पर्यावरण का विध्वंस हो रहा है | यह देशज समाज (महिला) के साथ-साथ विश्व समाज की चुनौती है |

### **जीवनावश्यक सुविधा :**

देशज समाज (आदिवासी, जनजाति, आदिम) प्रमुखतः से जिस भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं वह क्षेत्र जंगल एवं पहाड़ी क्षेत्र है | स्वतंत्रता के पश्चात आज भी इस क्षेत्र में जीवनावश्यक सुविधाओं की उपलब्धता की कमी महसूस होती है | पेयजल, यातायात एवं संचार सुविधा, विद्युत सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, आवास व्यवस्था, पर्याप्त वस्त्र एवं अन्न उपलब्धता आदि जीवनावश्यक सुविधा की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है | यह जीवनावश्यक सुविधा उपलब्ध कराकर देशज समाज को जीवन की मुख्यधारा में लाना यह महत्वपूर्ण चुनौती है | देशज समाज की महिलाओं के लिए शिक्षा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराकर उनके जीवन में प्रगति की किरण ला सकते हैं |

### **भाषा :**

देशज समाज (आदिवासी, जनजाति, आदिम) की भूक्षेत्र और प्रवर्ग के अनुसार विभिन्न बोलीभाषा है | बोलीभाषा देशज समाज की संस्कृति का अभिन्न अंग है | यह उनकी संस्कृतिक विशेषतः है | कोलरिज के अनुसार, 'Mother Tung is

the language of Heart' | कोरकू, गोंड, राजगोंड, परधान, आंध, भिल्ल, कोलाम, मीणा, गरासिया, डामोर, सहरिया, गुजर, मुंडा, ऊँराव, खड़िया, हो, संथाली, असुर, बेदिया, खरवार, भूमिज, चैरो, करमाली, बिरहोर, कोरबा, परहैया, सौरिया पहाड़िया, कोहरा, आदि देशज समाज (आदिवासी, जनजाति, आदिम) की अलग-अलग जन-जातियाँ होती है | गोंडी, कुडुख, खड़िया, संथाली, हो, मुंडारी आदि भाषा होती है |

### आरोग्य सुविधा :

देशज समाज में शिक्षा के अभाव के कारण विभिन्न सन्दर्भ में अंधविश्वास है | यह अंधविश्वास उनके आरोग्य संरक्षण में बाधा उत्पन्न करती है | शिशु एवं महिलाओं के आरोग्य की शास्त्रीय दृष्टिकोण से व्यवस्था नहीं की जाती है | पर्यावरण के विध्वंस की शिकार आदिवासी बालक एवं महिलाएं हो रही है | आई.सी.एम.आर. द्वारा सुझाई गई प्रतिदिन 2400 कैलोरी से कम कैलोरी मिलनी चाहिये | कुपोषण की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विषयक समस्या आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अधिकतर है | महिलाओं की विभिन्न आजारों की योग्य चिकित्सा नहीं की जाती | इस कारणवश देशज समाज में महिलाएं एवं बालकों के मृत्यु का प्रतिशत ज्यादा है | देशज समाज बहुल क्षेत्र में आरोग्य सुविधा उपलब्ध कराकर महिलाएं एवं बालकों के मृत्यु का प्रतिशत कम करना वर्तमान चुनौती है |

### जीवन पद्धति :

देशज समाज (आदिवासी, जनजाति, आदिम) की जीवन पद्धति विशेष है | खान-पान, वस्त्र परिधान, आहार-विहार, आचार-विचार, रीति-रिवाज आदि जीवन पद्धति के विभिन्न अंग गैर-देशज समाज से अलग विशेषता रखती है | परिवार में महिलाओं का स्थान पुरुषों के समान था | उत्पादक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी समान है | देशज समाज की संस्कृति ही संस्कृति की विशेष पहचान है | प्राकृतिक जीवन पद्धति है | जीवन में प्रकृति का अनन्यसाधारण महत्व है | उत्सव, आचार विधियाँ, संस्कार विधियाँ, खान-पान विधियाँ अपने स्वतंत्र विशेषता रखते है |

### उत्पादक कार्य :

देशज समाज की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान एवं भूमिका रही है | महिलाएँ उत्पादन के साधनों से महरूम हो गयी थी | देशज समाज की पुरुषों एवं महिलाओं की उत्पादक क्षेत्र में भागीदारी समान है | गैर-देशज समाज एवं विश्व के परिवर्तनीय घटकों के संपर्क में आने से देशज समाज विशेषतः महिला जीवन प्रभावित हुवा है | वैश्वीकरण के कारण शहरों में नए रोजगार के निर्माण के कारण आदिवासी युवा वर्ग तेजीसे शहर की ओर स्थलांतरित हुए |

### सामाजिक क्षेत्र :

देशज समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्र में पुरुष और महिलाओं का उत्तरदाइत्व एवं निर्णय में स्थान एवं अधिकार समान है | देशज समाज महिलाओं के संदर्भ में हिंसा मुक्त समाज माना जाता है | लैंगिक भेदभाव गैर-देशज समाज की तुलना में आज भी कम है | गैर-देशज समाज एवं विश्व के परिवर्तनीय घटकों के संपर्क में आने से देशज समाज विशेषतः महिला जीवन प्रभावित हुवा है | घोटलू संस्थाओं के मानदण्ड को निरस्त कर मात्रसत्ताक व्यवस्था अमान्य किया गया | आदिवासी समाज

विशेषतः महिलाएँ सांप्रदायीकरण तथा ब्राह्मणीकरण से पीड़ित हुए हैं। लड़की के विवाह की आयु 16-18 वर्ष मानते हैं। विवाह के सन्दर्भ में लड़कियों की स्वीकृति-अस्वीकृति ध्यान में नहीं ली जाती। अशिक्षा, बालविवाह, घरेलु हिंसा, सामाजिक कुरीतियाँ आदि कारणों से महिलाएँ अपने मानवाधिकारों से वंचित हैं। शहरी क्षेत्र में स्थलांतरित होने के कारण संस्कृति विस्मरण होकर संयुक्त परिवारों का विघटन होना प्रारंभ हुआ। बदलते वर्तमान परिवेश में पारंपरिक पंचायतों का हास हुआ है। असमानता, शोषण, गरीबी, कुपोषण, लैंगिक भेदभाव, अशिक्षा, चिकित्सा सुविधा का अभाव, विस्थापन आदि समस्याओं से देशज समाज की महिला झुज रही है। महिलाओं के साथ प्रमुखतः यौन उत्पीड़न, दहेज, बाल विवाह, कन्या भ्रूणहत्या, गर्भलिंग भेदानुसार गर्भपात, घरेलु हिंसा, तस्करी, सौतेला व्यवहार, छेड़खानी आदि अपराध होते हैं। इस समस्याओं से उभरके समाज का समतोल विकास करना यह वर्तमान चुनौती है।

### संस्कृति संरक्षण :

देशज समाज की स्वतंत्र संस्कृति है। देशज समाज की संस्कृति ही उनकी अलग पहचान दर्शाती है। बदलते वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देशज समुदाय और गैर-देशज समुदाय के परस्पर संपर्क से नये आयाम खुलने लगे हैं। विभिन्न धार्मिक संगठनों ने वैचारिक एवं धार्मिक प्रसार के लिए देशज समुदाय से संपर्क स्थापित किये। गैर-देशज समुदाय की संस्कृति और देशज समाज की संस्कृति परस्पर प्रभावित हुई। गैर-देशज समाजों की अंतःक्रिया और हस्तक्षेप के परिणास्वरूप देशज समाज के सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि से काफी बदलाव आया है। औद्योगिकी तथा प्रद्योगिकी क्षेत्र की उपलब्धियों के कारण देशज समाज की भाषा, विवाह, जीवन, धर्म, संस्कृति के सन्दर्भ में गंभीर चुनौती निर्माण हुई। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण देशज समाज (आदिवासी, जनजाति, आदिम) की संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन करना वर्तमान चुनौती है।

### मानवाधिकार :

देशज समाज विशेषतः महिला आज अपनी कमजोर स्थिति की वजह हासिए पर है। आदिवासी अर्थव्यवस्था, संस्कृति, परंपरा और धर्म के अनुसार देशज समाज में महिलाएँ समान दर्जा पाती थीं। कुछ समय उपरांत देशज समाज पितृसत्ता, औपनिवेशिक अतिक्रमण के शिकार बना। नई व्यवस्था में आदिवासी महिलाओं की उपयोगिता उपभोक्ता के रूप में बदल गयी। महिलाओं की मुख्य जिम्मेदारी प्रजनन मानी गयी। अशिक्षा के कारण आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक मानवाधिकारों की पहचान एवं जाग्रति का अभाव है। महिलाएँ जब शिक्षित एवं स्वस्थ होगी तब वह अपने मानवाधिकार के प्रति जागरूक होकर हनन का प्रतिशत कम करेगी। भारतीय संविधान में सभी महिलाओं को अनुच्छेद 14 के अनुसार सामान अधिकार, अनुच्छेद 15 (1) भेदभाव का अनाधिकार, अनुच्छेद 16 के अनुसार अवसर की समानता, अनुच्छेद 39 (घ) के अनुसार समान कम समान वेतन अधिकार तथा अपमानजनक प्रथाओं का परित्याग का अधिकार, प्रसूति सहाय्यता के अधिकारों का प्रावधान सम्मिलित है। भारतीय संविधान मानवाधिकार का मूल दस्तावेज है। मानवाधिकारों का वास्तव में उचित उपयोग कर देशज समाज की महिलाओं की उन्नति की राह आसान करना यह एक चुनौती है।

### शासकीय निति :

ब्रिटिश शासन काल में आदिवासियों को जंगल, जमीन से बेदखल कर मजदूर बनने के लिए मजबूर किया गया | आदिवासियों को गुलाम बनाया गया | अस्वस्थकर क्षेत्रों में लम्बे समय तक काम करने के मजबूर किया गया | स्वतंत्र भारत सरकार की आर्थिक परियोजना के मंजूरी के कारण आदिवासियों को विस्थापित होना पड़ा | जीवन बनाये रखने वाली उत्पादक क्षेत्रोंसे निष्कासन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का हनन है | भारतीय संविधान देशज महिलाओं के उन्नति का प्रमुख अस्त्र है |

1986 के राष्ट्रिय निति में महिला शिक्षा को प्राथमिकता दी गई | 1988- 2000 की राष्ट्रिय निति में महिलाओं को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया | मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा महिलाएं एवं बाल की निति निर्धारण किया जाता है | 1952 द्वारा गठित राष्ट्रिय महिला आयोग द्वारा संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों को लागु करने की शिफारश करता है | 2001 में राष्ट्रिय महिला उत्थान निति बनाई गई | शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि क्षेत्र में विकास के लिए प्रावधान है |

### महिला संरक्षण सम्बन्धी अधिनियम :

हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, मात्रुलाभ अधिनियम 1961, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1966, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1986, महिलाओं का अश्लील चित्रण अधिनियम 1986, दहेज निवारण अधिनियम 1986, घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षक अधिनियम 2006, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण संरक्षक अधिनियम 2013, कन्या भ्रूण हत्या रोकने सम्बन्धी प्रावधान 2005 आदि नियम पारित कराकर महिलाओंको सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया |

### उपसंहार :

‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता |

यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वाः वत्राफला क्रिया ||’

यह भारतीय संस्कृति है | नारी समाज का ऐसा पहलु है जिसके बिना किस भी समाज की रचना असंभव है | नारी के बिना नए जीव की कल्पना नहीं कर सकते है | नेपोलियन ने कहा था की, ‘‘तुम मुझे कुछ अच्छी माँ दे दो, मैं तुम्हे अच्छा राष्ट्र दे सकता हूँ |’’ भारतीय समाज में महिलाओं का स्थान ऊँचा है | परन्तु कालांतर में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति उतरोत्तर कमजोर होती गयी | पारिवारिक विघटनों के कारण जनजातीय समुदाय भूमिहीन, अल्पभूधारक, असिंचित भूमिधारक है | रोजगारों की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध न होने के कारण गरीबी बढ़ती जाती है | जनजातीय समाज की महिलाएं परिवार के आर्थिक क्रिया कलापों में पूर्ण सहयोग करती है | किन्तु आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का सर्वाधिक शोषण होता रहा है |

राजाराम मोहन राय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, ज्योतिराव एवं सावित्रीबाई फुले, महर्षि कर्वे, डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर आदि समाज सुधारकोंने महिलाओं के सुदृढ़ जीवन के लिए स्वजीवन समर्पित किया | डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकरजी ने महिला अधिकारों के लिए ‘हिन्दू कोड बिल’ प्रस्तुत किया | महात्मा गांधी ने लिखा है, ‘जब तक आधी मानवता की आँखों में आसू है,

मानवता पूर्ण नहीं कही जा सकती है | इसी क्रम में स्वामी विवेकानंद का कहना था की, 'स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाएं बिना विश्व का कल्याण संभव नहीं है | आज मध्य भारत की उच्च पदस्थ पद पर देशज समाज की महिलाएँ विराजमान है |

कवि दुष्यंत के शब्दों में,

‘एक चिंगारी कही से ढूंड लाओ दोस्तों |

इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है’ ||

**संदर्भ :**

कोसम्बी, धर्मानंद, (2010), “भारतीय संस्कृति और अहिंसा”, नई दिल्ली, सम्यक प्रकाशन |

गायकवाड, प्रदीप, (2012), “भारतीय संविधानाचे शिल्पकार –डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर”, नागपुर, सुगत प्रकाशन.

दिनकर, रामधारिसिंग, (2015), “संस्कृति के चार अध्याय”, इलाहाबाद, लोकभारती प्रकाशन |

मीना, जनकसिंह, (2015), “भारत में मानवाधिकार और महिलाएँ”, जयपुर, राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी |

सालुंखे, आ.ह., (2015), “हिंदू संस्कृति अणि स्त्री”, मुंबई, लोक वाडःमय गृह |

<http://marathi.webdunia.com/article/marathi-women-s-day>

<https://hi.wikipedia.org/s/pdf>